

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय (जानव संस्थान विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education (Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

संख्या 17-3/2019(प्र/वि)/मसारावेविप्र/

दिनांक 2 नवम्बर, 2020

अधिसचना

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वेद पाठशालाओं और गुरु शिष्य परम्परा इकाईयों को पुन: खोलने के लिये भारत सरकार (गृह मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय समय पर प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर लोक अधिसूचना के माध्यम से साथ ही साथ पत्रों, ईमेल आदि के माध्यम से निर्देश प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त, वेद पाठशालाओं और गुरु शिष्य परम्परा इकाईयों को यह भी सलाह दी गयी थी कि सम्बन्धित राज्यों और स्थानीय प्राधीकरणों की कोविड 19 पेनडेमिक से सम्बन्धित सलाहों का भी पालन किया जाय।

यह फिर दोहराया जाता है कि प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वेद पाठशालाएं और गुरु शिष्य परम्परा इकाईयां कोविड-19 के सभी प्रोटोकाल एवं दिशा-निर्देशों का पूरी ईमानदारी से अवश्य पालन करें। इसकी प्रभावी पृष्टि तथा पाठशाला और इकाई को ज्वाईन करने के लिये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों के सहमित पत्र की प्रति प्रतिष्ठान को भेजना आवश्यक हैं। प्रतिष्ठान की अनुमित के पश्चात ही पाठशाला और इकाईयां पुन: खोलना चाहिये।

NOTIFICATION

For re-opening of the MSRVVP affiliated Veda Pathashalas and Guru Shishya Parampara (GSP) Units, instructions have been issued from time to time through public notifications in Pratishthan's website as well as through letters, e-mails etc as per the guidelines of the Govt. of India (Ministry of Home Affairs/ Ministry of Education/Ministry of Health & Family Welfare). In addition, the Pathashalas and GSP Units have also been advised to comply with the advisories of the respective State Govts and local authorities relating to Covid-19 pandemic.

It is reiterated that all the Covid-19 protocols and guidelines must be scrupulously complied with by all the affiliated Veda Pathashalas and GSP Units. A confirmation to this effect must be sent to Pratishthan along with copies of consent letters of parents/ guardians of the students for joining the Pathashalas & Gurukulas. Re-opening of the Pathashalas and Units should be done only after obtaining approval of the Pratishthan.

(Prof. Viroopaksha V. Jaddipal)